प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **74/2023** (अपील सूचना का अधिकार)

नंगराज पटेल पुत्र वेला जी पटेल निवासीः करावली, तहसील–सलूम्बर, उदयपुर
..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08-08-2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 06.06.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/74/23/999–1000 दिनांक 18.07.2023 से लिखा गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः रीडर/सू.अ/2023/1113 दिनांक 02.08.2023 से कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर इस कार्यालय के पत्रांक 1210–13 दिनांक 25.04.2003 कुंआ लीज के संबंध में सम्पूण्र पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही गई थी। जिस संबंध में रेकार्ड पुराना होने से तलाशी हेतु कार्यालय के आदेश क्रमांक 783 दिनांक 14.06.2023 द्वारा नायब तहसीलदार गींगला को प्रभारी नियुक्त कर कमेटी गठन किया गया व 7 दिवस का समय दिया जाकर पत्रावली को ढुंढाया गया, गठित कमेठी की रिपोर्ट प्राप्त की गई, रिपोर्ट अनुसार पत्रावली 20 वर्ष पुरानी थी, जिसकी काफी तलाशी किये जाने पर रेकार्ड में पत्रावली नहीं मिल पाने से कार्यालय के पत्रांक 1106 दिनांक 01.08.2023 द्वारा आवेदक श्री नगराज पटेल को सूचित किया गया व पत्रावली मिलने पर नियमानुसार प्रति उपलब्ध कराने हेतु अवगत करा दिया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही जा रही है वह काफी पुरानी होकर रिकर्ड में उपलब्ध नहीं होने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार गींगला के मार्गदर्शन में गठित कमेठी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रिकार्ड पुराना होने से प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित पत्रावली प्राप्त नहीं हुई।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना काफी पुरानी होने से रिकार्ड में ढुंढने पर भी नहीं मिलने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना की गहन खोज कर अपीलार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर